

1. डॉ भीमराव अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में आई डी ई बूटकैम्प के तीसरे संस्करण का शुभारंभ 6 अप्रैल को होगा।
2. अंडमान कॉलेज में छात्रों के लिए कौशल विकास के लिए कार्यशाला का आयोजन।
3. भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नए SWM नियम लागू किए हैं।
4. परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर आम जनता के लिए परामर्श जारी किया।



अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इनोवेशन सेल के माध्यम से, 6 अप्रैल को इनोवेशन, डिजाइन और एंटरप्रेन्योरशिप बूटकैम्प 2026 का तीसरा संस्करण लॉन्च करने जा रहा है। इस प्रमुख पहल का उद्देश्य पूरे भारत में छात्रों के बीच इनोवेशन, डिजाइन थिंकिंग और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं को बढ़ावा देना है। यह 5-दिवसीय बूटकैम्प देश भर में 30 स्थानों पर तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा। इनमें स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रतिभागी और विजेता, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल के संस्थान, और ऐसे छात्र शामिल हैं जिनके पास इनोवेटिव विचार या प्रोटोटाइप हैं, जिन्हें डिजाइन में सुधार, एर्गोनोमिक संवर्धन और निवेश-तैयार पिचिंग के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। शिक्षा सचिव एल. कुमार, 6 अप्रैल को DBRAIT में 'IDE बूटकैम्प' के तीसरे संस्करण का शुभारंभ करेंगे। पहली बार, IDE बूटकैम्प लेह (लद्दाख) और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया जा रहा है। इस कैम्प के दौरान फ़ैकल्टी मेंटर पूरे बूटकैम्प में छात्र टीमों के साथ रहेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे।



अंडमान कॉलेज के अंग्रेजी विभाग ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 1.0 के तहत "कौशल विकास: मृदु कौशल, जीवन कौशल और पेशेवर योग्यताओं के माध्यम से रोजगार क्षमता का निर्माण" विषय पर आज एक कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला का उद्देश्य संवादात्मक सत्रों के माध्यम से छात्रों की रोजगार क्षमता, संचार कौशल और समग्र पेशेवर विकास को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन ANCOL के प्राचार्य डॉ. एस. जयकुमार ने की। इस कार्यशाला में लगभग 80 छात्र भाग ले रहे हैं। यह कार्यशाला 10 अप्रैल तक जारी रहेगी।



पर्यटन निदेशालय, द्वारा आयोजित 'द्वीप व्यंजन महोत्सव 2026' के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह फेस्टिवल 17 से 19 अप्रैल तक प्रदर्शनी मैदान में आयोजित होगा, जहां स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय व्यंजनों का संगम देखने को मिलेगा। इस आयोजन में खाद्य विक्रेताओं, राज्य संघों, स्वयं सहायता समूहों, होटल व्यवसायियों, रेस्टोरेंट संचालकों, कैटरिंग संस्थानों और गृहिणियों को भाग लेने का अवसर दिया गया है। इच्छुक आवेदकों को गुणवत्ता, स्वच्छता और नवाचार पर विशेष ध्यान देना होगा। आवेदन पत्र और दिशा-निर्देश सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय, के संचालन अनुभाग से प्राप्त एवं जमा किए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। स्टॉल आवंटन 12 अप्रैल को लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा और उसी दिन आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे। महोत्सव प्रतिदिन शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक आयोजित होगा। स्टॉल शुल्क श्रेणियों के अनुसार निर्धारित है, जबकि चयनित राज्य संघों और स्वयं सहायता समूहों को स्टॉल निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक (संचालन) राबिया मुस्तफा से संपर्क किया जा सकता है।



उद्योग निदेशालय, की ओर से द्वीपों के स्थानीय युवाओं के लिए विभिन्न कौशल विकास ट्रेडों में तीन महीने का निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण 13 अप्रैल से 12 जुलाई तक विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित होगा। प्रशिक्षण के लिए दसवीं पास और वैध स्थानीय प्रमाणपत्र धारक आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उद्योग निदेशालय के प्रशिक्षण अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है।



भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के स्थान पर नए SWM नियम 2026 लागू किए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन और 'चक्रीय अर्थव्यवस्था' को बढ़ावा देना है। इसके तहत कचरे का चार श्रेणियों में वर्गीकरण कर निर्धारित केंद्रों पर जमा करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने, गलत रिपोर्टिंग करने या बिना पंजीकरण के काम करने पर पर्यावरण मुआवजा या जुर्माना लगाया जाएगा। द्वीपसमूह में अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति इन दंडों को लागू करेगी। अंडमान जैसे पारिस्थितिक रूप से

संवेदनशील क्षेत्रों के लिए पर्यटकों पर 'यूजर फीस' लगाई जा सकती है। होटलों और रेस्तरां के लिए विकेंद्रीकृत गीला कचरा प्रसंस्करण अनिवार्य किया गया है। केवल वही कचरा लैंडफिल में जाएगा जिसे रीसायकल नहीं किया जा सकता। बिना छंटे कचरे को लैंडफिल में डालने पर भारी शुल्क लगेगा। कचरा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी नागरिकों, संस्थानों और स्थानीय निकायों को इन नियमों का पालन करने को कहा गया है। विस्तृत नियम egazette.gov.in पर उपलब्ध है।



परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा को लेकर परामर्श जारी करते हुए कहा कि देशभर में सड़क दुर्घटनाएं मृत्यु और गंभीर चोटों का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। विभाग ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सड़क हादसों में हो रही लगातार वृद्धि को देखते हुए सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को यातायात नियमों के सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं। विभाग ने लोगों से मोटर वाहन अधिनियम और अन्य सभी संबंधित नियमों का पालन करने की अपील की है। निर्देश के अनुसार पैदल यात्रियों को जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करने और ट्राफिक सिग्नल का पालन करने की सलाह दी गई है। दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। वाहन चालकों से गलत दिशा में वाहन न चलाने, लाल-नीली व तेज रोशनी वाली एल ई डी लाइट और अनाधिकृत हूटर का उपयोग न करने को कहा गया है। प्रशासन ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



द्वीप समूह के निजी स्कूलों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2012 का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। इसके तहत निजी स्कूलों को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की कुल क्षमता का कम से कम पच्चीस प्रतिशत, कमजोर वर्गों और वंचित समूहों से संबंधित बच्चों के लिए आरक्षित करना होगा। इन बच्चों को उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह 25 प्रतिशत आरक्षण का नियम प्री-स्कूल प्रवेश पर भी लागू होगा। प्रवेश फॉर्म संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्रीय अधिकारियों से प्राप्त किए जा सकते हैं। फॉर्म 6 अप्रैल से उपलब्ध होंगे। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ 10 अप्रैल तक क्षेत्रीय अधिकारियों के पास जमा कर सकते हैं।



अंडमान निकोबार प्रशासन भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई में स्नातक पाठ्यक्रमों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 7 सीटों पर प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने जा रही है। यह परीक्षा 6 मई को सुबह दस बजे से डॉ. बी. आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित होगी। उम्मीदवार की आयु 17 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन पत्र 20 अप्रैल तक डीब्रेट के समुद्री विभाग में उपलब्ध रहेगा। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 20 अप्रैल शाम तीन बजे तक जमा किए जा सकते हैं। प्रवेश पत्र 22 से 27 अप्रैल तक शाम चार बजे जारी किए जाएंगे।

